कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

①

आदेश पत्रक – ता० नूर मोहम्मद अंसारी बनाम विक्रांत सिंह तक

अंचल – बालूमाथ, जिला – लातेहार वाद सं०– 22 /2023

केस का प्रकार– सिविल वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
25-4-2023	आवेदक नूर मोहम्मद अंसारी ग्राम+पो. बालूमाथ जिला-लातेहार के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा- बालूमाथ के CS खाता 340 प्लॉट नं० 12 रकबा 04 डिसमील की खरीदगी कर दखल कब्जे मे हूँ। हाल सर्वे खाता स० 508 प्लॉट स. 175/3003 से लगान रसीद निर्गत है। जब मैं भूमि का सीमांकन करवा रहे थे। तब विक्रांत सिंह पिता प्रदीप सिंह द्वारा सिमांकन कार्य में रोक लगाते हुए उक्त भूमि पर दावा करने लगे। न्याय हेतु आवेदन के आलोक में वाद की कारवाई प्रारम्भ की जाती है। उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। उभय पक्ष हाजिर. आगे	B 1537 / 2022

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
26.05.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। प्रथम पक्षकार का कहना है की केवाला के द्वारा वर्ष 2000 एवं 2008 में 4 डि० भूमि का क्रय किया गया। पंजी 2 कायम न कराते हुए लगान रसीद update कराया गया। उक्त खाता 508 में 4 डि० का मालिक मैं हूँ। द्वितीय पक्ष का कहना खाता 424 रामवती कुंअर से Agreement के द्वारा 1½ कठ 16 डि० भूमि वर्ष 2022 में प्राप्त किया गया। बाद में राजस्व कर्मी की जाँच प्रतिवेदन की आवश्यकता है। जाँच हेतु पत्र दें। अभिलेख 15/6/23 को पेश करें।
	26/5/23 अंचल अधिकारी बालूमाथ

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० ——— से ——— तक

अंचल – बालूमाथ, जिला – लातेहार **विविध वाद सं०–22/2022–23**

केस का प्रकार– **नूर मोहम्मद अंसारी बनाम विक्रांत सिंह**

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
23.08.2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्षकार उपस्थित। उपरोक्त वाद में आज आदेश हेतु तिथि पूर्व से निर्धारित थी। उभय पक्ष को नोटिस तामिला करा दिया गया था। प्रथम पक्षकार नूर मोहम्मद अंसारी पिता करामत मियां ग्राम बालूमाथ के द्वारा आवेदन दिया गया है कि वर्ष 2000 में 4 डी0 भूमि केवाला के द्वारा मोहम्मद मोईन से क्रय किया गया जिसका सी0एस0 खाता 340 सी0एस0 प्लॉट 12 रकबा 4 डी0 है। इस भूमि का आर0एस0 खाता 508 आर0एस0 प्लॉट 895/103 पाया गया। प्रथम पक्षकार का कहना है कि हमलोगो के पास ऑफलाईन लगान रसीद, ऑनलाईन लगान रसीद है, परन्तु द्वितीय पक्षकार विक्रांत सिंह के द्वारा उक्त भूमि पर नापी नही करने दिया जा रहा है। इनका यह भी कहना है कि विक्रांत सिंह जिस खाता, प्लॉट पर दावा करता है वह भूमि बिल्कुल अलग है। प्रथम पक्षकार का कहना है कि हमारा क्रय किया गया जमीन को नापी करते हुए दखल कब्जा दिलाया जाय। द्वितीय पक्षकार विक्रांत सिंह ग्राम कोमर के द्वारा अभी तक राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है। राजस्व उप निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा परेशानी खड़ा कर रहे है। राजस्व उप निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन से पता चलता है कि सी0एस0 खाता 340 प्लॉट 12/D रकबा 11 डी0 भूमि का डिमाण्ड झावरी देवी पति रामधनी भुईयां के नाम से हो0नं0 1182 पर नामांतरण वाद संख्या-714 के द्वारा कायम किया गया है। द्वितीय पक्षकार के खतियानी रैयत झावरी देवी पति रामधनी भुईयां इत्यादि के द्वारा उक्त भूमि 11 डी0 का विक्रय पूर्व मे कर दिया गया है। उपरोक्त सभी तथ्यों, उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों एवं साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात निम्नलिखित निष्कर्ष पाये जाते है:- 1- गुलाम मोहम्मद एवं नूर मोहम्मद पिता करामत मियां के द्वारा वर्ष 2000 मे सी0एस0 खाता 340 प्लॉट 12 आर0एस0 खाता नं0 340 प्लॉट 195/3003 में 4 डी0 भूमि मो0 मोईन से क्रय किया गया। सी0एस0	

Scanned with CamScanner

पंजी-2 के हो0नं0-1374 पर जमाबंदी कायम है एवं ऑफलाईन लगान रसीद निर्गत है।

2- उपरोक्त भूमि मो0 मोईन के द्वारा वर्ष 1993 में मसोमात साबरा खातून पति मनीर मियां से क्रय किया गया था। साबरा खातून के द्वारा यह भूमि वर्ष 1978 में आदित्य पाण्डेय से क्रय किया गया था।

3- वर्ष 2012 में नूर मोहम्मद के द्वारा अपने हिस्से की 2 डी0 भूमि अपने भाई गुलाम मोहम्मद को बिक्री कर दिया गया। अब गुलाम मोहम्मद 4 डी0 भूमि के मालिक हो गये। उक्त 4 डी0 भूमि का ऑफलाईन लगान रसीद वर्ष 2008-2009 तक निर्गत पाया गया। रिविजन सर्वे में ये आर0एस0 खाता 508 साबरा खातून पति मनीर मियां के नाम से इन्द्राज पाया गया तत्पश्चात गुलाम मोहम्मद के द्वारा उक्त 4 डी0 भूमि का पंजी-2 अद्यतन अंचल से कराया गया है एवं वर्ष 2022 तक ऑनलाईन लगान रसीद पाया गया। चूँकि आर0एस0 खाता 508 साबरा खातून पति मनीर मियां के नाम से पाया गया था इसलिए इसी साबरा खातून से रकबा घटाया गया।

4- द्वितीय पक्षकार विक्रांत सिंह सी0एस0 खाता 340 प्लॉट 12/D रकबा 11 डी0 भूमि पर दावा प्रस्तुत करते है। इस भूमि का खतियानी रैयत झावरी देवी पति रामधनी भुईयां था। सी0एस0 खाता से ही रामधनी भुईयां के वंशज के द्वारा 5 डी0 भूमि मो0 मोईन पिता गुलाम मुस्तफा एवं 5 डी0 मो0 रेयाज व मो0 हुसैन पिता अब्दुल हनीफ को वर्ष 2008 में कंवाला संख्या-1655 से बिक्री कर दिये। शेष 1 डी0 भूमि इनके वंशज के द्वारा वर्ष 2014 में जेयाउल्लाह पिता अनवर को एकरारनामा कर दिये।

5- इस प्रकार सी0एस0 खाता 340 सी0एस0 प्लॉट 12/D रकबा 11 डी0 भूमि पूर्व में ही खतियानी रैयत रामधनी भुईयां के वंशज के द्वारा बिक्री कर दिया गया या एग्रीमेंट अन्य रैयतों को कर दिया गया।

6- विक्रांत सिंह जिस भूमि पर अपना दावा प्रस्तुत करते है वह आर0एस0 खाता 424 प्लॉट संख्या- 194, 195/3002 कुल रकबा 21 डी0 है। जिसका खतियानी रैयत रामधनी भुईयां व कोल्हा भुईयां एवं मनपुरन भुईयां के नाम से दर्ज पाया गया।

7- चूँकि रामधनी भुईयां पूर्व में ही सी0एस0 खाता से 11 डी0 अपनी भूमि को विक्रय कर चुके है। उसके बावजूद आर0एस0 खाता में इसके नाम से 21 डी0 दर्ज पाया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं संदिग्ध है।

8- विक्रांत सिंह आर0एस0 खाता 424 के खतियानी रैयत रामधनी भुईयां वगैरह से एग्रीमेंट करवा लिए है वो भी संदिग्ध एवं सी0एन0टी0 ऐक्ट का उल्लंघन है। ऐसी भूमि जो पूर्व में ही बिकी हो गई है उसका आर0एस0 खाता से खतियान बन जाने के उपरांत रैयत के द्वारा किसी अन्य को एग्रीमेंट करके दे देना विधि सम्मत नही है एवं सीनएनटी

Scanned with CamScanner

एक्ट का उल्लंघन है।

9- प्रथम पक्षकार का 4 डी0 भूमि जो आर0एस0 खाता 508 में है जबकि विकांत सिंह एग्रीमेंट से प्राप्त जिस भूमि पर दावा कर रहे है वह खाता 424 में है। दोनों पक्षकार का अपनी-अपनी भूमि पर अलग-अलग दावा है। दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप करने की कोई संभावना नही है।

10- प्रथम पक्षकार चूँकि उक्त भूमि को केवाला से प्राप्त किये है एवं ऑफलाईन व ऑनलाईन लगान रसीद अंचल से प्राप्त किये है इसलिए उक्त भूमि पर उनका दावा सर्वविदित एवं वैध है जबकि द्वितीय पक्षकार मात्र सीनएनटी से प्रभावित भूमि को एकरारनामा से प्राप्त किये वो भी ऐसी भूमि जो पूर्व में बिकी हो चुकी है ये वैध नही माना जा सकता है।

उपर्युक्त उपलब्ध कराये गये सभी साक्ष्यों, राजस्व दस्तावेज जांच प्रतिवेदन का गंभीरता पूर्वक अवलोकन करने के पश्चात् मै इस नतीजे पर पहुंचता हूँ कि प्रथम पक्षकार को आर0एस0 खाता 508 आर0एस0 प्लॉट 195/3003 कुल रकबा 4 डी0 भूमि पर हक व हैकियत बनता है। द्वितीय पक्षकार का दावा बिल्कुल अलग खाता पर है, जो संदिग्ध है। प्रथम पक्षकार को आदेशित किया जाता है कि नापी के लिए ऑनलाईन आवेदन करें, अंचल अमीन उनकी 4 डी0 भूमि को सीमांकन करेंगे। इस सीमांकन कार्य में द्वितीय पक्ष कोई विघ्न उत्पन्न नही करेंगे, यदि द्वितीय पक्षकार के द्वारा इस सीमांकन कार्य मे विघ्न उत्पन्न करते है तो उन पर विधि सम्मत कारवाई कार्रवाई की जाएगी। मेरे इस आदेश से राजस्व कर्मी/सभी पक्षकारों एवं थाना बालूमाथ को अवगत करायें। मेरे आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर करने के लिए स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित

21/9/23

अंचल अधिकारी,
बालूमाथ।

Digitally signed by MD AFTAB ALAM
Date: 2023.09.21 17:02:29 +05:30
Location: 192.168.6.91

21/9/23

अंचल अधिकारी,
बालूमाथ।

Scanned with CamScanner